न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 02/2019

आर.सी.एम.एस. : 2019/00002

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
श्रीमती रूकमा देवी बेवा कल्याणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी चण्डावल तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान		1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, सोजत। 2. उगमसिंह पुत्र जगजी जाति रावणा राजपूत निवासी चण्डावल तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार सैन

रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री किशोरसिंह राजपुरोहित

–: निर्णय :–

दिनांकः– 16/03/2021

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार सोजत द्वारा ग्राम चण्डावल पटवार हल्का चण्डावल के नामान्तरकरण संख्या 721 दिनांक 06.05.1992 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्टगण एवं अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम चण्डावल पटवार हल्का चण्डवाल में खसरा नम्बर 1978 रकबा 0.7100 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की भूमि अपीलाण्ट की सास चौसर बेवा जगजी कौम रावाणा राजपूत की भूमि स्थित थी। अपीलाण्ट के सास की मृत्यु के पश्चात उनका फौतदगी नामान्तरकरण संख्या 721 हल्का पटवारी द्वारा भरा गया, तब बिना किसी जांच किए ही, विधिक प्रकिया अपनाये बिना ही लापरवाही पूर्ण कार्य करते हुए अपीलाण्ट का नाम रूकमा देवी बेवा कल्याणसिंह की जगह नेनी देवी बेवा कल्याणसिंह दर्ज कर दिया। जबकि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम रूकमा देवी है तथा उसके सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड एवं राशन कार्ड भी रूकमा देवी पत्नी कल्याणसिंह के नाम से बने हुए है। इस संबंध तहसीलदार सोजत से प्राप्त रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है नेनीदेवी पत्नी कल्याणसिंह एवं रूकमा देवी पत्नी कल्याणसिंह एक ही व्यक्ति है। इसके साथ ही हल्का पटवारी नामान्तरकरण दर्ज किया उसमें खसरा नम्बर भी 1978 के स्थान पर 1998 दर्ज कर दिया, जिसमें भी संशोधन किया जाना आवश्यक है। अपीलाण्ट को जैर अपील नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05.01.2019 को हुई, तक

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नामान्तरकरण एवं जमाबन्दी की नकले प्राप्त कर अपील न्यायालय में पेश की जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरवाया जावें, जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त करावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण 1992 दर्ज किया गया था, इसके लगभग 29 वर्ष पश्चात अपील न्यायालय में पेश की है, जो स्पष्टतया म्याद बाहर होने से अपील अपीलाण्ट काबिल निरस्त है। इतनी लम्बी अवधि के पश्चात अपीलाण्ट उक्त अनुतोष अपील के जरिये प्राप्त नहीं कर सकता है, उसे घोषणा की दावा पेश करना चाहिए। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली, मूल नामान्तरकरण का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर, अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा कथन किया गया है कि अपीलाण्ट के पति एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के माता चौसर बेवा जगजी के देहान्त के पश्चात उनका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 721 दिनांक 06.05.1992 को दर्ज किया गया, जिसमें अपीलाण्ट का नाम रूकमा देवी बेवा कल्याणसिंह की जगह नेनीदेवी बेवा कल्याणसिंह दर्ज कर दिया गया, जबकि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम रूकमा देवी है। अपीलाण्ट का नाम रूकमा देवी है, इसकी ताईद पत्रावली संलग्न तहसीलदार सोजत की जांच रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2020/1044 दिनांक 26.10.2020 से होती है, साथ ही अपीलाण्ट के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं राशन कार्ड की प्रति से भी होती है। इससे यह स्पष्ट है कि नैनी देवी एवं रूकमा देवी एक ही व्यक्ति है। इसके साथ ही अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण में खसरा नम्बर 1978 के स्थान पर 1998 अंकित कर दिया गया है, जबकि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की भूमि खसरा नम्बर 02 की भूमि 1978 की है। इस संबंध में पत्रावली संलग्न जमाबंदी संवत 2042 से 2045, 2046 से 2049, 2054–2057 एवं 2070–2073 का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 721 की आराजी खसरा नम्बर 1998 की नहीं होकर खसरा नम्बर 1978 की है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 721 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत ग्राम चण्डावल पटवार हल्का चण्डावल के नामान्तरकरण संख्या 721 दिनांक 06.05.1992 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार सोजत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे

अति. जिला कलेक्टर, पाली

मृतक चौसर पत्नी जगजी के विधिक वारिशान की जांच कर, सभी पक्षकारान को सुनवाई का समूचित अवसर देते हुए, राजस्व रेकर्ड अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 16/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली